

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/746

दिनांक 20/05/25

अनवान :-

| | | |
|---------------|------|--------------|
| प्राथी | बनाम | विप्राथीगण |
| हीराराम वगैरा | बनाम | भलाराम वगैरा |

प्राथीना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 326/2024

दिनांक : 15.05.2025

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त पकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड के मौजा पोशाल के खेत खसरा सं. 71 रकबा 22.2577 हैक्टर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्राथीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2025/747 to 750

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्राथी हीराराम वगैरा
3. विप्राथीगण भलाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 20/05/2025



(कुसुमलता चौहटन)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन